

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-०८ / ज०सं०(नि०)ल०सिं०-राँची-०१-०२/२०१५ / राँची, दिनांक :

आदेश

श्री राजा राम सिंह (ID-1732), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत (31.01.2014) को रिश्वत लेते हुए निगरानी द्वारा गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड सं० -०३/२००८ दिनांक- 18.03.2008 दर्ज किया गया। उक्त आरोप के आलोक में इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या- 698 दिनांक- 24.02.2009 द्वारा सिविल सेवा नियमावली (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) के नियम- 55 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित है।

श्री सिंह के सेवानिवृति के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43बी० के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


ह०

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : २६९० राँची/दिनांक २३/५/१९

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) झारखण्ड, राँची / महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/उप सचिव, (प्रबंधन) प्रशास्त्रा-०१, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री राजा राम सिंह (ID- 1732) सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, पिता- स्व० निरंजन सिंह, ग्राम-जदवाँ, भाया-डेहरी-ऑन-सोन, जिला-रोहतास (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव